<u>न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश</u> (समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)

<u>व्यवहार वाद क. 27ए / 2015</u> <u>संस्थापित दिनांक 04.03.2013</u> फाईलिंग नम्बर 230303003562013

- 1 केवल सिंह पुत्र प्रांनसिंह उर्फ पिरने आयु 55 वर्ष
- 2. कलियान सिंह पुत्र प्रांनसिंह उर्फ पिरने आयु 65 वर्ष
- 3. फूलसिंह पुत्र खरगे उम्र 45 वर्ष
- 4. जगन्नाथ पुत्र खरगे आयु 35 वर्ष
- 5. श्रीमती गोमती बाई वेवा पत्नी खरगे आयु 70 वर्ष
- 6. महाराज सिंह पुत्र नादरी आयु 50 वर्ष
- 7. रामसेवक पुत्र नादरी आयु 45 वर्ष
- मोहनसिंह पुत्र नादरी आयु 42 वर्ष
- 9. जयश्रीराम पुत्र नादरी आयु 35 वर्ष
- 10. श्रीमती बैजन्तीबाई वेवा पत्नी नादरी जाटव आयु 70 वर्ष निवासीगण— ग्राम ककरारी का पुरा, ग्राम पंचायत—टुडीला, गोहद जिला भिण्ड
- 11. सुज्जानी पत्नी पुरूषोत्तम जाटव निवासी– भहुरी का पुरा गोहद जिला भिण्ड
- पानसिंह पुत्र रामचरन जाटव निवासी– कठुआ हाजी गोहद जिला भिण्ड

..... वादीगण

<u>बनाम</u>

- 1. मुन्नालाल पुत्र भवानी आयु 45 वर्ष
- 2. अमरसिंह पुत्र भवानी आयु 45 वर्ष
- 3. रामचरन पुत्र भोगीराम जाटव उम्र 65 वर्ष निवासीगण— ग्राम ककरारी का पुरा, ग्राम पंचायत टुड़ीला गोहद जिला भिण्ड
- 4. मुलायम खॉ पुत्र इलाही बक्स आयु 50 वर्षे निवासी— ग्राम इकाहरा गोहद जिला भिण्ड
- 5. म०प्र० शासन द्वारा– कलेक्टर महोदय, जिला भिण्ड

..... प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा — अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम प्रतिवादी क० 1 लगायत 3 द्वारा — अधिवक्ता एम०पी०एस० राणा प्रतिवादी क० 4 द्वारा — अधिवक्ता आर०पी०एस० गुर्जर प्रतिवादी क० 5— एक पक्षीय

<u>::- नि र्ण य -::</u> (<u>आज दिनांक 15/05/18</u> को घोषित किया)

वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा इकाहरा में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 82 रकबा 0.280, सर्वे क0 83 रकबा 0.840, सर्वे क0 85 रकबा 0.350, सर्वे क0 98 रकबा 0.550, सर्वे क0 209 रकबा 0.140, सर्वे क0 211 रकबा 0.060, सर्वे क0 815 रकबा 1.30 तथा मौजा उटीला में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 137 रकबा 0.23, सर्वे क0 138 रकबा 0.15, सर्वे क0 139 रकबा 0.21, सर्वे क0 140 रकबा 0.22, सर्वे क0 638 रकबा 0.10, सर्वे क0 639 रकबा 0.81 के 1/6-1/6 भाग की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि मौजा इकाहरा में भूमि सर्वे क0 82 रकबा 0.280, सर्वे क0 83 रकबा 0.840, सर्वे क0 85 रकबा 0.350, सर्वे क0 98 रकबा 0.550, सर्वे क0 209 रकबा 0.140, सर्वे क0 211 रकबा 0.060, सर्वे क0 815 रकबा 1.30 स्थित है जिसके बंदोबस्त के पूर्व के सर्वे क0 66 / 02, 61 / 810, 496 / 04 एवं सर्वे क0 270 थे। तथा मौजा उटीला में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 137 रकबा 0.23, सर्वे क0 138 रकबा 0.15, सर्वे क0 139 रकबा 0.21, सर्वे क0 140 रकबा 0.22, सर्वे क0 638 रकबा 0.10, सर्वे क0 639 रकबा 0.81 स्थित है जिसके बंदोबस्त के पूर्व सर्वे क0 38, 472 एवं 458 थे। उक्त भूमि वादी क0 1 व 2 के पिता तथा वादी क0 3, 4, 6, 7, 8 एवं 9 के बाबा तथा वादी क0 5 एवं 10 के ससूर पिरने उर्फ प्रांनसिंह उर्फ बिरखे के स्वत्व एवं आधिपत्य की थी पिरने के चार वारिश खरगे, नादरी, कोमल सिंह एवं कल्यान सिंह थे जिनमें से केवलसिह एवं कल्यानसिंह मौजूद है तथा खरगे एवं नादरी की मृत्यु हो चुकी है। खरगे के वारिस वादी क0 3, 4 एवं 5 है तथा नादरी के वारिस प्रतिवादी क0 6 लगायत 10 है। इस प्रकार पिरने के स्थान पर वादग्रस्त भृमि के 1/6-1/6 भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी वादीगण हुए थे। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता एवं बाबा मृतक पिरने के स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसके पिरने हमेशा से हमेंशा से ही स्वत्व एवं आधिपत्यधारी थी। पिरने की मृत्यु वर्ष 1993 में हो चुकी है एवं पिरने के मरने के बाद वादीगण अपने हिस्सा अनुसार उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं। मृतक पिरने ने अपने जीवनकाल में कोई बसीयत एवं दान द्वारा वादग्रस्त भूमि का अंतरण नहीं किया था। पिरने की मृत्यु की पश्चात् वादीगण वादग्रस्त भूमि के 1/6-1/6 भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के एकांकी एवं स्वत्व आधिपत्य की है। उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बंध नहीं है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण की खेती हो रही है। वादी क0 1 शासकीय सेवक होकर बाहर रहता है। अन्य वादीगण सीधे साधे व्यक्ति है एवं किसी भी शासकीय रिकॉर्ड की जानकारी नहीं रखते हैं। प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 चालाक व्यक्ति हैं। बंदोबस्त के दौरान प्रतिवादीगण ने बंदोबस्त अधिकारी एवं पटवारी से सांठ गांठ करके सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना वादीगण का नाम निरस्त कराकर सर्वे क0 82, 83, 85, 98, 209, 210, 211, 123 एवं 186 पर प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 का नाम एवं सर्वे क0 815 पर प्रतिवादी क0 4 का नाम अंकित करा लिया है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण ने गोपनीय तौर पर राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर वादग्रस्त भूमि पर अपने नाम का इन्द्राज कराया है एवं उक्त इन्द्राज से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। दिनांक 25.10.2012 को प्रतिवादी क0 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि के विक्रय की बातचीत कर रहे थे तब वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड निकलवाया था तब वादीगण को यह जानकारी हुई थी कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपने नाम का अवैधानिक इन्द्राज करा लिया है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। अतः

वाद प्रस्तुत कर वादीगण का निवेदन है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि के 1/6–1/6 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में बाधा उत्पन्न न करें।

- 3. प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 द्वारा वाद पत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वाद पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को हिस्सा 1/6–1/6 नहीं है। वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर प्रतिवादी क0 3 एवं 1/2 भाग के प्रतिवादी क0 1 व 2 स्वामी होकर काबिज हैं। प्रतिवादीगण द्वारा बंदोबस्त कर्मचारी अधिकारियों से कभी कोई सांठ गांठ नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण पूर्वजों के समय से काबिज हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है एवं बंदोबस्त के दौरान विधि अनुसार कार्यवाही हुई थी। वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के इन्द्राज की जानकारी यथा समय से ही थी। प्रतिवादीगण का इन्द्राज वादग्रस्त भूमि पर विधिक रूप से सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ही दर्ज हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई स्वत्व नहीं है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ही खेती करते चले आ रहे हैं। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य हैं।
- 4. प्रतिवादी क0 4 द्वारा वाद पत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वाद पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी नहीं हैं। सर्वे क0 815 का भूमि स्वामी प्रतिवादी क0 4 है। सर्वे क0 815 में वादीगण का कोई भाग नहीं हैं। प्रतिवादी क0 4 भूमि सर्वे क0 815 का रिकॉर्डेड स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी द्वारा बंदोबस्त के दौरान किसी भी प्रकार से गलत इन्द्राज नहीं कराया गया है। यदि प्रतिवादी क0 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर गलत इन्द्राज कराया गया है जो वादीगण को इन्द्राज दुरूस्ती के लिए राजस्व न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी। वादी द्वारा गलत रूप से वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण को बीस वर्ष पूर्व से ही जानकारी है। वादीगण द्वारा अवधि ब्राह्य वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा भू राजस्व संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत राजस्व न्यायालय में कार्यवाही नहीं की गई है इन्द्राज दुरूस्ती के संबंध में राजस्व न्यायालय को एकाकी क्षेत्राधिकार है। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।
- 5. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रतिवादी क0 5 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से प्रतिवादी क0 5 के विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।
- 6. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

 क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि मौजा इकाहरा परगना गोहद के विवादित सर्वे नं0 82 रकबा 0.280 जिसका बंदोबस्त के पूर्व का नम्बर 66 / 2, 83 रकबा 0.840 जिसका बंदोबस्त से पूर्व सर्वे नम्बर 61 / 810, 85 रकबा 0.350 बंदोबस्त के पूर्व

सर्वे नम्बर 61/810, 98 रकबा 0.550 बंदोबस्त के पूर्व सर्वे नं0 496/4, 209 रकवा 0.140, बंदोबस्त से पूर्व के सर्वे नं0 496/4, 211 रकवा 0.060, वंदोबस्त के पूर्व के सर्वे नं0 496/4, 815 रकबा 1.30, वंदोबस्त के पूर्व नं0 270 बांके मौजा इकाहरा परगना गोहद तथा सर्वे नं0 137 रकवा 0.23, वंदोबस्त के पूर्व के नं0 38, रकवा 0.15, वंदोवस्त के पूर्व के नं0 38, 139 रकवा 0.21, वंदोवस्त के पूर्व के नं0 38, 140 रकवा 0.22, वंदोवस्त के पूर्व नं0 38, 638 रकवा 0.10, वंदोवस्त के पूर्व के नं0 472, 639 रकवा 0.81, वंदोवस्त के पूर्व के नं0 458 बांके मौजा टुडीला परगना गोहद के 1/6-1/6-1/6 के भूमि स्वामी है ?

- 2. क्या प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादगस्त भूमि से आविधानिक रूप से वेकब्जा करने अथवा आविधानिक रूप से विक्रय करने का प्रयास किया है ?
- 3. क्या वादीगण ने दावे का उचित मूल्यांकन कर उस पर विहित न्यायालय शल्क अदा किया है ?
- 4. क्या विवादित भूमि पर वादीगण का आधिपत्य न होने से धारा 34 विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत कब्जा वापिसी की सहायता न चाहे जाने के कारण दावा अप्रचलनशील है ?
- 5. क्या वादीगण का दावा अवधि ब्राह्य है ?
- 6. सहायता एवं व्यय ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण वाद प्रश्न कमांक-1

7. उक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है। उक्त वाद प्रश्न के संबंध में वादी केवल सिंह वा०सा० 1 ने अपने वाद पत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचिनत किया है कि मौजा इकाहरा एवं मौजा टुडीला में स्थित वादग्रस्त भूमि में वादी क0 1 का हिस्सा 1/4 वादी क0 2 का हिस्सा 1/4 वादी क0 3 लगायत 5 का हिस्सा 1/4 एवं वादी क0 6 लगायत 10 का हिस्सा 1/4 है तथा वादीगण उक्त हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि के स्वामी होकर आधिपत्य धारी हैं। उपरोक्त भूमि वादी क0 1 एवं 2 के पिता मृतक पिरने एवं वादी क0 3 लगायत 5 के पिता मृतक खरगे पुत्र पिरने वादी क0 6 लगायत 10 के पिता नादरी पुत्र पिरने से प्राप्त हुई है। वादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार खेती करते चले आ रहे हैं। पिरने की मृत्यु वर्ष 1993 में हो चुकी है। उनके मरने के बाद वादग्रस्त भूमि वादी क0 1 एवं 2 को तथा वादी क0 3 लगायत 5 के पिता खरगे एवं 6 लगायत 10 के पिता नादरी को वारिसान की हैसियत से प्राप्त हुई थी जिसमें से खरगे व नादरी की मृत्यु हो गई है एवं खरगे एवं नादरी की पत्नि एवं पुत्रगण उनके वारिस होकर उत्तराधिकारी है। मृतक पिरने ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि का कोई भी अंतरण एवं बसीयत नहीं किया है पिरने की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने शेष वादीगण की जानकारी के बिना उक्त भूमि का नामांतरण अपने नाम करा लिया था जबकि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि

से कोई संबंध नहीं हैं। उक्त अवैध नामांतरण की जानकारी वादीगण को तब हुई थी जब प्रतिवादीगण ने गौराबाई के स्थान पर बांटोबाई पिल मुन्नालाल को खड़ा करके मुनेन्द्र भदौरिया एवं रेखा भदौरिया के नाम से दिनांक 09.12.11 को विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया था। जब उक्त फर्जी विक्रय पत्र की जानकारी वादीगण को हुई थी तब वादीगण ने राजस्व अभिलेख के खसरा खतौनी की नकले प्राप्त की थी तब जानकारी में आया था कि प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि का अपने नाम गलत नामांतरण करा लिया है। वादी केवल सिंह वा0सा0 1 द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में ग्राम इकाहरा के सर्व नम्बरों की रिनम्बरिंग सूची प्र0पी0 3, ग्राम इकाहरा के वर्ष 2012—13 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी0 4 प्र0पी0 5, प्र0पी0 6, प्र0पी0 7 एवं सम्वत् 2041 लगायत 2045 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी0 8 तथा ग्राम टुडीला की रिनम्बरिंग सूची प्र0पी0 9 एवं ग्राम टुडीला के वर्ष 2012—13 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी0 10 तथा सम्वत् 2039 लगायत 2043 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0 11 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है।

प्रतिपरीक्षण के पद क0 7 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके बाबा परसादी के तीन लड़के पिरने, भवानी एवं भोगीराम था। उसके बाबा परसादी के नाम से मौजा इकाहरा एवं मौजा दुडीला में कोई जमीन नहीं थी। जब उसके बाबा खत्म हुए थे तो उसके बाबा एवं भोगीराम एवं भवानी अलग-अलग रहते थे। पद क0 8 में उक्त साक्षी का कहना है कि मौजा इकाहरा एवं मौजा टुडीला की जो जमीन थी वह उसके पिता को जमीदारों द्वारा पट्टे दिये गये थे उसने उक्त पट्टो की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण में पेश नहीं की है और न ही उक्त पटटे देखे हैं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित जमीन पर उसके पिता पिरने एवं भोगीराम तथा भवानी उसके पिता के जमाने से ही खेती करते चले आ रहे हैं। उसके पिता एवं भवानी तथा भोगीराम का बंटवारा नहीं हुआ था। जो जमीन उसके पिता के नाम पर थी उस पर उसके पिता खेती करते थे और जो जमीन उसके पिता एवं उसके चाचा भवानी एवं भोगीराम ने मिलकर खरीदी थी उस पर उसके पिता शामिलाती खेती करते थे। विवादित जमीन के अतिरिक्त उसके पिता के पास ग्राम इकाहरा एवं टुडीला में अन्य भूमि हैं। उक्त भूमि पर सभी लोग वह रामकरन एवं मुन्नालाल खेती कर रहे हैं। उसे जानकारी नहीं है कि विवादित मौजे में बंदोबस्त किस सन् में हुआ था। वंदोबस्त की जानकारी उसे वर्ष 2012 में हुई थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता की मृत्यू होने के बाद वर्ष 2012 तक उसके तथा प्रतिवादीगण के मध्य कोई झगड़ा नहीं हुआ था और न ही कोई मुकदमा चला था। उक्त साक्षी ने प्रतिवादीगण अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि विवादित जमीन में उसके पिता का हिस्सा 1/3 था। उक्त साक्षी ने प्रतिवादीगण अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि खेती से मिलने वाले पैसे से तीनों भाई मिलकर खेती खरीदते थे एवं उसके पिता बडे थे इस कारण उनका नाम खेती पर लिखा जाता था। पद क0 10 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके पिता की मृत्यू वर्ष 1993 में हुई थी। पद क0 11 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे जानकारी नहीं है कि उसके पिता ने दिनांक 13.02.89 को प्र0डी0 1 बसीयत की थी। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि उक्त बसीयत पर जगन्नाथ ने हस्ताक्षर किये थे। पद क0 12 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पिता की मृत्यू के समय खरगे एवं नादरी जीवित थे। पद क0 14 में उक्त साक्षी का कहना है कि सर्वे क0 815 का रकबा 6 बीघा 8 विस्सा है, वह जमीन उसके पिता के नाम से थी और वहीं से उसे प्राप्त हुई है। उसे जानकारी नहीं है कि उसके पिता के स्थान पर उसका फौती नामांतरण कब हुआ था। वह चार भाई एवं तीन बहने हैं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि पिता के मरने के बाद वादग्रस्त भूमि पर चारों

<u>6 व्यवहार वाद कमांक:-27ए/2015</u>

भाईयों एंव तीनों बहनों का नामांतरण हुआ था या नहीं। पद क0 15 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बंदोबस्त के दोरान मुलायम ने सर्वे क0 815 का इन्द्राज नहीं कराया था एवं गलती कम्प्युटर से हुई थी।

- 9. वादी साक्षी नाथूराम वा०सा० 2 एवं फोदल वा०सा० 3 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- प्रतिवादी रामचरन प्र0सा0 1 ने वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए शपथ प्रस्तुत 10. कर व्यक्त किया है कि मौजा इकाहरा एवं टुडीला में स्थित विवादित भूमि मृतक पिरने ने अपने जीवनकाल में अपने छोंटे भाई स्व0 भोगीराम के पुत्र रामचरन एवं भवानी के पुत्र मुन्नालाल तथा अमरसिंह को बसीयत की थी। बसीयत दिनांक 13.02.89 को गोहद उपपंजीयक कार्यालय में हुई थी। पिरने की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर राजस्व अधिकारियों के आदेश से प्रतिवादी क0 1,2 एवं 3 के नाम का वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण हुआ था। नामांतरण के पूर्व से ही प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 के पिता एवं ताउ पिरने के साथ शामिलाती खेती करते थे। वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। पिरने के दो भाई भोगीराम एवं भवानी थे। उक्त तीनों भाईयों ने मेहनत करके शामिलाती खेती करके वादग्रस्त भूमि खरीदी थी तथा प्रतिवादी क0 1 लगायत 2 के पिता भवानी एवं प्रतिवादी क0 3 के पिता भोगीराम ने उक्त शामिलाती की खेती की कमाई से खरीदी गई वादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता का नाम लिखा दिया था। वादीगण के पिता व बाबा पिरने इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि उक्त विवादित भृमि में तीनों भाईयों का बराबर हिस्सा है इसी कारण पिरने ने मृत्यु के पूर्व वसीयत के द्वारा मौजा इकाहरा का बंदोबस्त से पूर्व सर्वे कु० २७० नया सर्वे कु० ८१५ रकवा १.३२७ हेक्टेयर अपने पास रखा था तथा शेष सर्वे क0 137 रकवा 0.23, 138 रकबवा 0.15, 139 रकवा 0.21, 140 रकवा 0.22, 638 रकवा 0.20 तथा 639 रकवा 0.81 हेक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम कर दिया था। जिस पर प्रतिवादी क0 1 लगायत 2 व 3 का विधि अनुसार नामांतरण हुआ था एवं उक्त सम्पूर्ण रकवे पर प्रतिवादीगण काबिज होकर खेती कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि से वादीगण को कोई संबंध नहीं है। पिरने ने वादग्रस्त भूमि के सर्वे क0 270 रकबा 1.327 नवीन सर्वे क0 815 रकबा 1.30 का सम्पूर्ण खाता अपने पास रख लिया था तथा शेष वादग्रस्त भूमि में 1/2 भाग प्रतिवादी क0 1 एवं 2 का तथा 1/2 भाग प्रतिवादी क0 3 का है। उक्त भूमि से वादीगण को कोई संबंध नहीं है। वादग्रसत भूमि पर प्रतिवादी क0 1, 2 एवं 3 का पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी रामचरन प्र0सा0 1 द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में सम्वत् 2050 लगायत 2054 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी0 2, सम्वत् 2053 लगायत 2057 का खसरा प्र0डी0 3 मौजा टुडीला की भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्र०डी० ४ एवं मौजा इकाहरा की भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्र०डी० 5 प्रकरण में प्रस्त्त की गई है।
- 11. प्रतिपरीक्षण के पद क0 7 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पिरने ने उसके, मुन्नासिंह व अमरसिंह के नाम विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वसीयत की है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0डी0 1 की वसीयत के दोनो साक्षी मातादीन एवं जगन्नाथ जीवित है तथा दोनों साक्षियों ने गवाही देने से मना कर दिया था। पद क0 9 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसे नहीं पता कि वसीयत में कौन—कौन से सर्वे नं0 वसीयत किये गये हैं एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने वसीयत के नौ बीघे भूमि अधिक लिखा ली है। पद क0 10 में उक्त साक्षी

ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित जमीन केवल सिंह बगैरह की है एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने विवादित भूमि पिरने के जीवनकाल में अपने नाम करा ली थी। पिरने ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि उसके नाम कर दी थी।

- 12. प्रतिवादी साक्षी जनवेद प्र0सां0 2 एवं मुन्नालाल प्र0सां0 3 ने भी प्रतिवादी रामचरन प्र0सां0 1 के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 13. तर्क के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज मृतक पिरने के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि थी एवं पिरने की मृत्यु हो चुकी है तथा वह मृतक पिरने के वारिस होकर वादग्रस्त भूमि के स्वत्व व आधिपत्यधारी है जबिक प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त आय से क्रिय की गई थी एवं कर्ता के रूप में वादी क0 1 एवं 2 के पिता पिरने का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित था। वादग्रस्त भूमि वादी क0 1 एवं 2 के पिता पिरने ने प्रतिवादीगण के नाम वसीयत कर दी थी एवं उक्त आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं।
- 14. प्रस्तुत प्रकरण में वादी केवल सिंह वा०सा० 1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वादी क0 1 एवं 2 के पिता तथा वादी क0 3, 4, 6, 7, 8 एवं 9 के बाबा तथा वादी क0 5 एवं 10 के ससुर मृतक पिरने के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि थी एवं वादीगण के पूर्वज पिरने की मृत्यु वर्ष 1993 में हो चुकी है तथा पिरने की मृत्यु उपरांत वादीगण मृतक पिरने के वारिस होकर वादग्रस्त भूमि के स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नही है जबिक प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के अभिवचनों का खण्डन किया गया है तथा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मृतक पिरने द्वारा प्रतिवादीगण के नाम वसीयत कर दी गई थी एवं उक्त आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में प्र0डी० 1 की वसीयत भी अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- 15. इस प्रकार प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी क0 1 एव 2 के पिता मृतक पिरने के दो भाई भवानी एवं भोगीराम भी थे तथा प्रतिवादी क0 1 एवं 2 भवानी के पुत्र है एवं प्रतिवादी क0 3 भोगीराम का पुत्र है। भवानी एवं भोगीराम की भी मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मृतक पिरने भवानी एवं भोगीराम द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से कय की कई थी जिसमें पिरने का हिस्सा 1/3 था एवं इसी कारण मृतक पिरने ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि प्रठडीठ 1 की वसीयत द्वारा प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 के हित में वसीयत कर दी थी। इस प्रकार प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 ने प्रठडीठ 1 की वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व होना बताया है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रठडीठ 1 की वसीयत को प्रमाणित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी रामचरन प्रठसाठ 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के के पद क0 7 में यह भी स्वीकार किया है कि प्रठडीठ 1 की वसीयतनामा फर्जी है। प्रतिपरीक्षण के पद कठ 9 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने वसीयत में नौ बीघे जमीन अधिक लिखा ली है इस प्रकार प्रतिवादी रामचरन प्रठसाठ 1 ने स्वयं

अपने कथन में प्र0डी0 1 की वसीयत को फर्जी होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 द्वारा प्र0डी0 1 की वसीयत के साक्षियों को भी परीक्षित नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में प्र0डी0 1 की वसीयत प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं प्र0डी0 1 की वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

- वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज मृतक पिरने के स्वत्व की भूमि थी एवं वह मृतक पिरने के वारिस होकर वादग्रस्त भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादी केवल सिंह वा0सा0 1 द्वारा उक्त संबंध में वादग्रस्त भूमि के सम्वत् 2041 लगायत 2045 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी0 8 एवं मौजा टुडीला में स्थित वादग्रस्त भूमि के सम्वत् 2039 लगायत 2043 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी0 11 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्र0पी0 8 के खसरे के अवलोकन से यह दर्शित है कि सम्वत् 2041 लगायत 2045 में भूमि सर्वे कं0 61/1, 66/2 एवं 61/2 सर्वे क0 270 एवं सर्वे क0 496 / 4 पर पिरने का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था तथा प्र0पी0 11 के खसरे से यह भी दर्शित है कि सर्वे क0 38/10, सर्वे क0 458 एवं 472/1 पर मृतक पिरने का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था। वादीगण की ओर से उक्त संबंध में मौजा इकाहरा की रिनम्बरिंग सूची प्र0पी0 3 तथा मौजा दुडीला की रिनम्बरिंग सूची प्र0पी0 9 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्र0पी0 3 की रिनम्बरिंग सूची से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 82 का बंदोबस्त से पूर्व सर्वे क0 66/2, सर्वे क0 83 एवं 85 का बंदोबस्त से पूर्व सर्वे क0 61/810 सर्वे क0 98, 209 एवं 211 का बंदोबस्त से पूर्व सर्वे क0 496/4 तथा सर्वे क0 815 का बंदोबस्त से पूर्व सर्वे क0 270 था एवं मौजा टुडीला की रिनम्बरिंग सूची प्र0पी0 9 से यह भी स्पष्ट है कि सर्वे क0 137, सर्वे क0 138, सर्वे क0 139, सर्वे क0 140 का बंदोबस्त से पूर्व सर्वे क0 38 तथा सर्वे क0 638 का बंदोबस्त से पूर्व सर्वे क0 472 एवं सर्वे क0 639 का बंदोबस्त से पूर्व सब्ने क0 458 था। प्रतिवादीगण की ओर से प्र0पी0 3 एवं प्र0पी0 9 की रिनम्बरिंग सूची का कोई खण्डन नहीं किया गया है।
- 17. वादीगण द्वारा जो प्र0पी० 8 एवं प्र0पी० 11 का खसरा प्रस्तुत किया गया है उससे यह दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि बंदोबस्त से पूर्व वादीगण के पूर्वज मृतक िपरने के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थी। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने भी अपने अभिवचनों में वादग्रस्त भूमि मृतक िपरने के स्वत्व की होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी रामचरन प्र0सा० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क० 10 में यह भी स्वीकार किया है कि विवादित जमीन केवल िसंह बगैरह की है इस प्रकार स्वयं प्रतिवादीगण ने भी वादग्रस्त जमीन वादीगण की होना स्वीकार किया है। यद्यिप प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूमि कें भूमि स्वामी मृतक िपरने के अतिरिक्त उनके िपता भवानी एवं भोगीराम भी थे परन्तु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मृतक िपरने से उन्हें वसीयत प्र0डी० 1 द्वारा प्राप्त हुई थी परन्तु वसीयत प्रमाणित नहीं है एवं प्रतिवादी रामचरन प्र0सा० 1 द्वारा स्वयं की प्र0डी० 1 की वसीयत को खिण्डत किया गया है एवं वसीयत का फर्जी होना स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा ही जो सम्वत् 2050 लगायत 2054 का खसरा प्र0डी० 2 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें सर्वे क० 82 रकवा 0.280, सर्वे क० 83 रकवा 0.840 सर्वे क० 85 रकवा 0.350, सर्वे क० 98 रकवा 0.550, सर्वे क० 209 रकवा 0.140, सर्वे क० 211 रकवा 0.06 पर मृतक िपरने का नाम खसरे के कॉलम नम्बर 3 में भूमि स्वामी के रूप में अंकित है एवं प्रतिवादीगण द्वारा सम्वत् 2053 लगायत 2057 का खसरा

<u>9 व्यवहार वाद कमांक:-27ए/2015</u>

प्र०डी० 3 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें सर्वे क० 137 रकबा 0.23, सर्वे क० 138 रकवा 0.15, सर्वे क० 139 रकवा 0.21, सर्वे क० 140 रकवा 0.22, सर्वे क० 638 रकवा 0.10 एवं सर्वे क० 639 रकवा 0.81 पर मृतक पिरने का नाम खसरे के कॉलम नम्बर 3 में भूमि स्वामी के रूप में अंकित है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उनसे ही यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मृतक पिरने के स्वामित्व की भूमि थी। जहां तक उक्त भूमि पर पिरने की मृत्यु उपरांत प्रतिवादीगण का नामांतरण होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि मात्र नामांतरण होने से किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने स्वत्व का जो स्त्रोत बताया गया है वह भी सत्य नहीं है। प्रतिवादीगण वसीयत प्रमाणित करने में असफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का अधिकार तो साबित नहीं होता है परन्तु वादीगण द्वारा जो प्र0पी० 8 एवं प्र0पी० 11 का खसरा तथा प्रतिवादीगण द्वारा जो प्र0डी० 2 एवं प्र0डी० 3 के खसरे प्रकरण में प्रस्तुत किये गये है, उनसे यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व भूमि स्वामी मृतक पिरने थे।

- यह उल्लेखनीय है कि वादी क0 1 एवं 2 मृतक पिरने के पुत्र है तथा वादी क0 3 18. लगायत 5 मृतक पिरने के मृत पुत्र खरगे के वारिस है एवं वादीं क0 6 लगायत 10 मृतक पिरने के मृत पुत्र नादरी के वारिस है एवं वादी क0 11 मृतक पिरने की पुत्री है तथा वादी क0 12 मृतक पिरने की मृत पूँती लाडोबाई का पुत्र है तथा उत्तराधिकार के सामान्य नियम के अनुसार पिरने की मृत्यू उपरांत पिरने की वारिसान की हैसियत से वादग्रस्त भूमि के उत्तराधिकारी हैं। जहां तक उक्त संबंध में आई मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि वादी केवल सिंह वा०सा० 1 ने अपने अभिवचन में वादग्रस्त भूमि उसके पिता मृतक पिरने के स्वत्व की होना बताया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि उसके पिता वर्ष 1993 में खत्म हो गये थे एवं उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता के उक्त सुझाव से भी इंकार किया है कि वादग्रस्त भूमि शामिलाती पैसे से खरीदी गई थी। वादी साक्षी नाथूराम वा0सा0 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि पिरने द्वारा जो जमीन खरीदी गई थी उस पर पिरने एवं उसके भाई भवानी तथा भोगीराम की खेती हो रही थी। इस प्रकार यद्यपि नाथूराम वा०सा० २ ने वादग्रस्त भूमि पर पिरने, भवानी तथा भोगीराम की खेती होना बताया है परन्त उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जमीन मृतक पिरने द्वारा क्रय की गई थी उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि उक्त वादग्रस्त जमीन संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गई थी।
- 19. वादी साक्षी फोदल अ०सा० 3 ने भी वादग्रस्त भूमि पिरने के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना बताया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि 27 बीघे जमीन पर वादी क्र0 1 एवं 2 खेती कर रहे हैं। जहां तक उक्त संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो प्रतिवादी रामचरन प्र0सा० 1 ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण के पद क० 7 में यह स्वीकार किया है कि भोगीराम एवं भवानी के मरने के बाद भोगीराम की जमीन उसे प्राप्त हो गई तथा भवानी की जमीन अमरिसंह तथा मुन्नालाल को प्राप्त हुई थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि पिरने के मरने के बाद उसकी जमीन उनके वारिसान केवल सिंह, कल्याण, खरगे एवं नादरी को प्राप्त होनी चाहिए थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क० 10 में यह भी स्वीकार किया है कि विवादित जमीन केवल सिंह बगैरह की है। प्रतिवादी साक्षी मुन्नालाल प्र0सा० 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क० 3 में यह स्वीकार किया है कि पिरने के मरने के बाद जमीन वादी केवल सिंह के नाम आई है। इस प्रकार प्रतिवादी रामचरन प्र0सा० 1 एवं मुन्नालाल प्र0सा० 3 ने भी वादग्रस्त भूमि वादीगण की होना स्वीकार किया है।

<u>10</u> व्यवहार वाद कमांक:-27ए/2015

- प्रकरण में वादीगण द्वारा जो प्र0पी0 8 एवं प्र0पी0 11 के खसरे प्रस्तुत किये गये है, 20. उनसे यह दर्शित है कि भूमि सर्वे क0 61/1, 66/2, 61/2 एवं सर्वे क0 270 तथा 496/4 एवं सर्वे क0 38/10, 458 एवं 472/1 के पूर्व भूमि स्वामी वादीगण के पूर्वज मृतक पिरने थे तथा प्रतिवादीगण द्व ारा जो खसरे प्र0डी0 2 एवं प्र0डी0 3 प्रकरण में प्रस्तृत किये गये है उनसे यह भी दर्शित है कि बंदोवस्त के पश्चात् बने नवीन सर्वे क0 82 रकबा 0.28, सर्वे क0 83 रकवा 0.840, सर्वे क0 85 रकवा 0.350, सर्वे क0 98 रकवा 0.55, सर्वे क0 209 रकवा 0.140, सर्वे क0 211 रकवा 0.060 एवं सर्वे क0 137 रकवा 0. 23, सर्वे क0 138 रकवा 0.15, सर्वे क0 139 रकवा 0.21, सर्वे क0 140 रकवा 0.22, सर्वे क0. 638 रकवा 0.10 एवं सर्वे क0 639 रकवा 0.81 पर मृतक पिरने का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था। जहां तक सर्वे क0 815, रकवा 1.30 भूमि का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि रिनम्बरिंग सूची प्र0पी0 3 के अनुसार सर्वे क0 815 का वंदोबस्त से पूर्व सर्वे क0 270 था एवं वादीगण द्वारा जो प्र0पी0 8 का खसरा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें सर्वे क0 270 पर भूमि स्वामी के रूप में पिरने का नाम अंकित है। सर्वे क0 815, सर्वे क0 270 का नवीन सर्वे कमांक है। प्रतिवादी मुलायम खॉ द्वारा अपने जबाव दावे में यह अभिवचनित किया गया है कि वह सर्वे क0 815 का भूमि स्वामी है परन्तु प्रतिवादी मुलायक खॉ द्व ारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे सर्वे क0 815 की भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई। प्रतिवादी मुलायम खाँ द्वारा अपने स्वत्व का स्त्रोत नहीं बताया गया है इसके विपरीत प्रतिवादी रामचरन प्र0सा0 1 ने अपने शपथ पत्र के पद क0 2 में यह बताया है कि पिरने ने सर्वे क0 270 नवीर सर्वे क0 815 रकवा 0.327 हेक्टेयर भूमि अपने पास रखी थी। इस प्रकार प्रतिवादी रामचरन प्र0सा० 1 द्वारा भी सर्वे क० २७० नवीन सर्वे क0 815 पर मृतक पिरने के स्वत्व को स्वीकार किया गया है प्र0पी0 8 के खसरे में भी सर्वे क0 270 की भूमि मृतक पिरने के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है, ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों से यह भी प्रमाणित है कि सर्वे क0 270, नवीन सर्वे क0 815 रकवा 1.30 भूमि के पूर्व भूमि स्वामी मृतक पिरने थे।
- 21. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में मृतक पिरने के स्वत्व की भूमि थी एवं पिरने की मृत्यु हो चुकी है तथा वादी क0 1 एवं 2 मृतक पिरने के पुत्र हैं तथा वादी क0 3 लगायत 5 मृतक पिरने के मृत पुत्र खरगे के वारिस है तथा वादी क0 6 लगायत 10 मृतक पिरने के मृत पुत्र नादरी के वारिस है एवं वादी क0 11 मृतक पिरने की पुत्री तथा वादी क0 12 मृतक पिरने की मृत पुत्री लाड़ोबाई का पुत्र है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्व रा विचारण के दौरान वादी सुज्जानी तथा पानसिंह को वादी क0 11 एवं 12 के रूप में वाद में संयोजित किया गया है। वादी केवल सिंह वा0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क0 14 में यह व्यक्त किया गया है कि वह चार भाई और तीन बहनें है तथा वादी साक्षी नाथूराम वा0सा0 2 एवं फोदल वा0सा0 3 ने भी मृतक पिरने की तीन लड़कियां होना बताया है तथा वादी ने अपने आवेदन आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 में यह भी वर्णित किया है कि पिरने की तीसरी पुत्री भूरीबाई की निःसंतान मृत्यु हो चुकी है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान भी यह व्यक्त किया गया है कि मृतक पिरने की तीन पुत्रियां सुज्जानी, लाड़ोबाई एवं भूरीबाई थी जिसमें लाड़ोबाई एवं भूरीबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा भूरीबाई की मृत्यु निःसंतान हुई थी एवं लाड़ोबाई का पुत्र पानसिंह है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है।
- 22. जहां तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होने संबंध कोई दस्तावेज

प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण मृतक पिरने के वारिस है एवं वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर पिरने की मृत्यु उपरांत काबिज होकर कृषि कार्य करना बताया है। प्रतिवादी रामचरन प्र0सा0 1 ने भी वादग्रस्त भूमि केवल सिंह बगैरह की होना बताया है तथा मुन्नालाल प्र0सा0 3 ने भी वादग्रस्त भूमि पिरने की मृत्यु के बाद केवल सिंह के नाम होना बताया है, इस प्रकार प्रकरण में आई मौखिक साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को आधिपत्य प्रमाणित है।

23. फलतः समग्र अवलोकन से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में मृतक पिरने के स्वत्व की भूमि थी एवं पिरने की मृत्यु हो चुकी है तथा वादी क0 1 एवं 2 मृतक पिरने के पुत्र हैं तथा वादी क0 3 लगायत 5 मृतक पिरने के मृत पुत्र खरगे के वारिस है तथा वादी क0 6 लगायत 10 मृतक पिरने के मृत पुत्र नादरी के वारिस है एवं वादी क0 11 मृतक पिरने की पुत्री तथा वादी क0 12 मृतक पिरने की मृत पुत्री लाड़ोबाई का पुत्र है एवं पिरने की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार के सामान्य नियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है एवं यह भी प्रमाणित है कि पिरने की मृत्यु उपरांत वादी क0 1 वादग्रस्त भूमि के 1/6 भाग, वादी क0 2 वादग्रस्त भूमि के 1/6 भाग एवं वादी क0 3 लगातय 5 वादग्रस्त भूमि के 1/6 भाग, वादी क 6 लगायत 10 वादग्रस्त भूमि के 1/6 भाग, वादी क0 11 वादग्रस्त भूमि के 1/6 भाग एवं वादी क0 11 वादग्रस्त भूमि के 1/6 भाग एवं वादी क0 12 वादग्रस्त भूमि के 1/6 भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। फलतः उक्त वाद प्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-2

24. उक्त वाद प्रश्न का निष्कर्ष वाद प्रश्न क0 1 के निष्कर्ष पर आधारित है। वाद प्रश्न क0 1 के निष्कर्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित है। वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त भूमि पर गलत रूप से अपने नाम का इन्द्राज कराया गया है एवं उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को बेचने के लिए प्रयासरत है एवं वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कब्जे में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। चाहते हैं तथा वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य है एवं वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। वाद प्रश्न क0 1 की विवेचना से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के स्वत्व से इंकार किया जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से वादीगण को अवैधानिक रूप से बेकब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी स्थिति में वादीगण स्थाई निषधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः उक्त वाद प्रश्न भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-3

- 25 उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाजारू मूल्य के आधार पर वाद का मूल्यांकन नहीं किया है एवं न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है अतः प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है।
- 26. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि की स्वत्व ६ गोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है

<u>12</u> व्यवहार वाद कमांक:-27ए/2015

अतः वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के लगान के बीस गुने के आधार पर वाद का मूल्यांकन कर तद्नुसार स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा हेतु न्यायशुल्क अदा किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7 (4) (सी) के अनुसार "घोषणात्मक डिक्री या आदेश अभिप्राप्त करने के वादों में जहां पारिणामिक अनुतोष प्रार्थित है वहां वादी इप्सित अनुतोष की रकम का कथन करेगा।" इस प्रकार स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वादों में वादी वाद का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है

27. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के लगान के बीस गुने के आधार पर वाद का मूल्यांकन कर तदानुसार स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायशुल्क अदा किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-4

- 28. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण ने प्रकरण में कब्जा वापसी की सहायता नहीं चाही है। अतः प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत संचालन योग्य नहीं है।
- 29. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य नहीं है तथा वादीगण द्वारा आधिपत्य वापिसी की सहायता नहीं चाही गई है। अतः प्रस्तुत वाद विनिदिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य होना बताया है एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण को मृतक पिरने से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, चूंकि वादीगण ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त जगह पर उनका आधिपत्य होना अभिवचनित किया है एवं वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में वादीगण को पृथक से आधिपत्य बापिसी की सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं थी एवं यह नहीं माना जा सकता है कि कब्जे की सहायता न चाहे जाने के कारण प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-5

30. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण द्वारा अविध ब्राह्य वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में वादीगण द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं वादीगण ने अपने वाद पत्र में वाद कारण दिनांक 25.10.2012 को उत्पन्न होना वर्णित किया है एवं वादीगण द्वारा यह वाद दिनांक 04.03.2013 को प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद कारण उत्पन्न होने के तीन वर्ष की अविध के अंदर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात विहित समयाविध के अंदर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद परिसीमा विधि से वाधित नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

<u>सहायता एवं व्यय</u>

- 31. समग्र अवलोकन से वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहे है। फलतः प्रस्तुत वाद निम्नानुसार जयपत्रित किया जाता है:--
 - 1. यह घोषित किया जाता है कि मौजा इकाहरा में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्0 82 रकवा 0.280, सर्वे क0 83 रकवा 0.840, सर्वे क0 85 रकवा 0.350, सर्वे क0 98 रकवा 0.55, सर्वे क0 209 रकवा 0.140, सर्वे क0 211 रकवा 0.060 एवं सर्वे क0 815 रकवा 0.30 तथा मौजा टुडीला में वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 137 रकवा 0.23, सर्वे क0 138 रकवा 0.15, सर्वे क0 139 रकवा 0.21, सर्वे क0 140 रकवा 0.22, सर्वे क0 638 रकवा 0.10, सर्वे क0 639 रकवा 0.81 के वादी क0 1 1/6 भाग, वादी क0 2 1/6 भाग, वादी क0 3 लगायत 5 1/6 भाग, वादी क0 6 लगायत 10 1/6 भाग, वादी क0 11 1/6 भाग एवं वादी क0 12 1/6 भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं।
 - 2. प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे।
- 32. प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जावेगा
- 33. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।


तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 15/05/18

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 सही / —
(प्रतिष्टा अवस्थी)
अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
वर्ग—1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0



SILAN SUNTA